न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –13/2024
GCMS No. –2024/24

1. दशरथ पुत्र उत्तम चन्द धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–वादी

बनाम

1. कान्ताबाई पुत्री उत्तम चन्द धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. मन्जु पुत्री उत्तम चन्द धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. ममता पुत्री उत्तम चन्द धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. मथरीबाई बेवा उत्तम चन्द धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. विनोद गोदीपुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. सीताराम पुत्र नारायण धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. उर्मीला पत्नि विनोद धाकड निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
8. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
9. उप पंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,6 –अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी

दिनांक :– 23.12.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात वाके मौजा खेराबाद पटवार डला उर्फ किशनुपरा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 45 की आराजी नं0 26 [illegible] हैक्टेयर, आराजी नं0 32 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं0 33 [illegible] 2800 हेक्टेयर ,आराजी नं0 43 रकबा 1.1100 हेक्टेयर कुल किता 4 [illegible] हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार वाके मौजा सेमलीया पटवार ड[illegible] तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 164 की आराजी नं0 627 रकबा 0.0100 हैक्टे[illegible] ट्युबवेल, आराजी [illegible]8 रकबा 2.2200 – हेक्टेयर लगानी 42 रुपये 18 पैसा, आराजी नं0 717 रकबा 0.0200 हेक्टेयर लगानी 5 रुपये 10 पैसा, आराजी नं0 718 रकबा 0.4200 हेक्टेयर लगानी 10 रुपये 71

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

पैसा कुल किता 4 कुल रकबा 2.8500 हेक्टेयर कुल लगानी 57 रुपये 99 पैसा स्थित हैं।इसी प्रकार वाके मौजा सेमलीया पटवार डला उर्फ किशनुपरा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 64 की आराजी नं0 719 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गे०मु०चाह स्थित हैं। जमाबंदी साथ संलग्न हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता उत्तम चन्द पुत्र नारायणजी धाकड के खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही थी। उत्तम चन्द जी की सेवा चाकरी वादी दशरथ करता चला आ रहा था, तथा वादी दशरथ की सेवा चाकरी से खुश होकर वादी के पिता उत्तम चन्द जी ने अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त खाता संख्या 164 एवं 45 में उत्तरचन्द जी का दर्ज सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा तथा वादग्रस्त खाता संख्या 64 में उत्तमचन्द जी का दर्ज 1/12 हक हिस्से की वसीयत अपने पुत्र वादी दशरथ के पक्ष में रुबरु गवाहन दिनांक 20/01/2023 को तहसील परिसर में उपस्थित होकर निष्पादित करा दिया था। उत्तम चन्द जी का देहान्त दिनांक 19/12/2023 को हो गया हैं और उत्तम चन्द जी की समस्त चल अचल सम्पत्ति एवं वादग्रस्त आराजीयात पर पर वादी उत्तम चन्द जी के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं।

3. वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नं0 1 से 5 का कोई ताल्लुक सरोकर सम्बन्ध नही रहा हैं प्रतिवादी नं० 1 से 3 जो उत्तम चन्दजी की पुत्रियां है उनको जो भी हक हिस्सा देना था वह उनके विवाह के समय नगद के रुप मे दे दिया था, तथा प्रतिवादी नं0 5 विनोद को उत्तम चन्दजी एवं उनकी पत्नि मथरीबाई द्वारा आज से करीब 20 वर्ष पूर्व बचपन में ही अपने भाई मांगीलाल के यहां गोद रख दिया था और विनोद अपने गोदी पिता की सम्पत्ति पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं विनोद के गोद चले जाने से विनोद का उत्तम चन्द जी की सम्पत्ति मे कोई हक हिस्सा व कब्जा नही रहा हैं, तथा विनोद द्वारा इस आशय का एक समझौता पत्र दिनांक 18/06/2023 को रुबरु गवाहन निष्पादित करा कर वादी को सुपुर्द किया था और उत्तम चन्द जी की सम्पत्ति मे गोद चले जाने से अपना कोई हक हिस्सा नही माना था। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति मे प्रतिवादी नं0 1 से 5 का कोई हक हिस्सा व कब्जा किसी हैसियत से नहीं रहा हैं।

4. वादी जरीये वसीयत दिनांक 20/01/2023 से वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादी के पिता उत्तम चन्द जी के देहान्त के बाद, उत्तमचन्दजी की दर्ज शुदा वादग्रस्त आराजीयात को उत्तम चन्द जी द्वारा उनके जीवन काल में की गई वसीयत अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादी व गांव के मौतबीरान व रिश्तेदारो द्वारा समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही हैं और वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर घौषित करा दर्ज कराने से इंकार हो गये हैं। इसलिए वादी वादग्रस्त खाता संख्या 164 एवं 45 में उत्तरचन्द जी का दर्ज सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा तथा वादग्रस्त खाता संख्या 64 में उत्तमचन्द जी का दर्ज 1/12 हक हिस्सा वादी के नाम घौषित कराने का अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

5. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी नंबर 1,2,3,4,6 की ओर से अधिवक्ता [illegible] सौलंकी ने ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 4 की ओर से राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश [illegible] वादी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 के मध्य राजीनामा हो गया है व राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल प[illegible]ली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
दशरथ बनाम कान्ताबाई
प्रकरण संख्या – 13/2024 वाद
GCMS No. – 2024/24

5. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 1,2,3 जमाबंदी संवत 2077–80 पेश की तथा प्रदर्शः 4 ए वसीयतनामा व प्रदर्श 5ए समझोता पत्र , मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6ए पेश किए तथा साक्ष्य वादी में पीडब्लू 1 दशरथ, पीडब्लू 2 नानालाल, पीडब्लू 3 मथरीबाई, पीडब्लू 4 सीताराम, पीडब्लू 5 बहादुर सिंह, पीडब्लू 6 बाबुलाल के बयान कराये।

6. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,6 के अधिवक्ता द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5,7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 के मध्य राजीनामा प्रस्तुत किया साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 1,2,3 जमाबंदी संवत 2077–80 पेश की तथा प्रदर्शः 4 ए वसीयतनामा व प्रदर्श 5ए समझोता पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6ए पेश किए वादी की प्रस्तुत साक्ष्य में वादी के पिता उत्तम चन्द जी द्वारा उनके जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात में दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में वसीयत कर दिया था तथा उक्त वसीयत प्रदर्शः 4ए प्रस्तुत हुई है जिसमे वसीयत के गवाह पीडब्लू 2 नानालाल, पीडब्लू 4 सीताराम, पीडब्लू 5 बहादुर सिंह, पीडब्लू 6 बाबुलाल पेश हुए है जिन्होने उक्त वसीयत प्रदर्शः 4ए उनके समक्ष उत्तमचन्द जी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित कराई गई है तथा उत्तमचन्द के कहने से उक्त गवाहन ने वसीयत पर गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए है जिससे उक्त वसीयतनामा वादी साबित कराने में पूर्णतः सफल रहा है तथा उत्तमचन्द जी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजीयात पर उत्तमचन्द जी की सम्पति पर वादी काबिज है जिसकी ताईद सभी गवाहन ने साक्ष्य में की है। उत्तमचन्द जी की बेवा मथरी बाई जो साक्ष्य के रूप में उपस्थित हुई है उसके द्वारा भी उसके पति उत्तमचन्द द्वारा वादी दशरथ के पक्ष में वसीयत निष्पादित करना व वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी का होना माना है तथा प्रतिवादी क्रमांक 5 विनोद द्वारा वादी दशरथ के पक्ष में समझोता पत्र दिनांक 18.06.2023 को उत्तमचन्द की मौजुदगी में निष्पादित कराया है जो प्रदर्श 5ए है जिसमे विनोद द्वारा मांगीलाल जी के यहा गौद जाने का तथ्य लिखा है तथा मागीलाल जी की सम्पति पर काबिज होना स्वीकार किया व उत्तम चन्द जी सम्पति से विनोद का कोई वास्ता नहीं होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की और से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसमे राजीनामा अनुसार उक्त सम्पति पर वादी का कब्जा होना पाया है इसलिए राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री योग्य है।

घोषणा है कि

वादी का वाद अन्तर्गत धारा–88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वादग्रस्त आरजी मौजा मौजा खेराबाद पटवार डला उर्फ किशनुपरा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं0 26 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, आराजी नं0 32 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं0 33 रकबा 2.2800 हेक्टेयर ,आराजी नं0 43 रकबा 1.1100 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.9000 हेक्टेयर भूमि में स्व0 उत्तमचन्द [illegible] का दर्ज 1/3 हक हिस्सा तथा मौजा सेमलिया पटवार डला उर्फ किश[illegible]ील निम्बाहेडा की आराजी नं0 627 रकबा 0.0100 हैक्टेयर टयूबवैल, [illegible] 2.2200 हेक्टेयर , आराजी नं0 717 रकबा 0.200 हैक्टेयर, आराजी [illegible] 718 रकबा 0.4200 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.8500 हेक्टेयर भूमि में स्व[illegible] उत्तमचन्द पिता नारायण का दर्ज 1/3 हक एवं मौजा सेमलीया पटवार डला उ[illegible] किशनुपरा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं0 719 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गे०मु०चाह भूमि में स्व0 उत्तमचन्द पिता नारायण का दर्ज 1/12 हक हिस्सा वादी के **नाम खातेदारी घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार निम्बाहेड़ां अमल दरामद करें। बैंक रहन**

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिकी पर्चा पृथक से बनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested